न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

वि0न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
06 / 2025	29.08.2025	18/11/25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– भैरूलाल आत्मज कस्तूर चन्द मीना
2 मुकुट बिहारी आत्मज कस्तुर चन्द मीना
3– हंसराज आत्मज कस्तूर चन्द मीना
जाति मीणा निवासीगण भौरा तहसील दीगोद जिला कोटा।

(वादीगण)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगणकी ओर से – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 आर.टी.एक्ट बाबत डिजिटाइज्ट शीट नक्शे में दुरूस्ती हेतु

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1–यह कि ग्राम भोंरा तहसील दीगोद में साबिक खसरा नम्बर 484 की 0–13 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज चली आ रही हे।

2– यह कि ग्राम भोंरा तहसील दीगोद में साबिक खसरा नम्बर 483/628 की 1–80 हेक्टर भूमि तेजेन्द्रसिंह के नाम दर्ज चली आ रही है।

3– यह कि राजस्व रिकार्ड का नक्शा लटता मे दोनों भूमि निम्न प्रकार अंकित है–

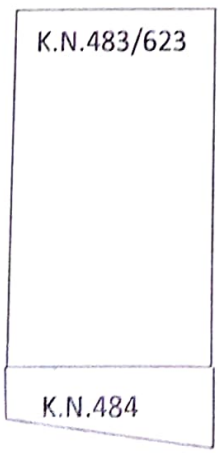

ख0न0 483/628 की 1.80 है0

N

S

ख0न0 484/628 की 0.13 है0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि वर्तमान में कम्प्यूटराईज सग्रीगेशन पश्चात डिजिटाइज्ड शीट में भूनक्शा निम्न प्रकार अंकित किया हुआ है–वह गलत है।

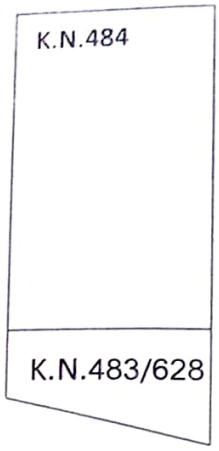

ख0न0 484 की 0.13 है0

N

S

ख0न0 483/628 की 1.80 है0

5–यह कि मौके पर ख0न0 483/628 की भूमि उत्तर दिशा में स्थित है तथा ख0न0 484 की भूमि दक्षिण दिशा में स्थित है। इस कारण डिजिटाइन्ड शीट में एक दूसरे के ख०न० परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। जो निम्न प्रकार से है–

गलत नक्शा

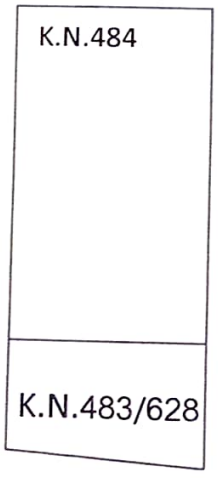

N

S

सही नक्शा

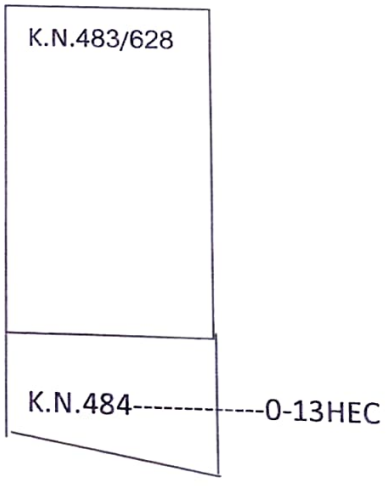

6– यह कि पटवारी हल्का भोरा द्वारा भी उक्त प्रकार से अपनी मोका रिपोर्ट तहसीलदार दीगोद के समक्ष दिनांक 18–6–25 को प्रस्तुत की गयी है। इस कारण डिजिटाइज्ड शीट नक्शे में उक्त प्रकार से दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

7–यह कि मोके के अनुसार काबिज भूमि के कब्जे काश्त को लेकर पक्षकारान मे भविष्य मे विवाद पैदा हो सकता है इस कारण राजस्व रिकार्ड के डिजिटाइज्ड शीट नक्शे में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी को उक्त मोके पर काबिज अनुसार डिजिटाइज्ड शीट शे में दुरूस्ती करने हेतु कहा तो उन्होने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा इस ारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि ख0न0 484 की 0–13 हेक्टर को मोके के अनुसार व काबिज भूमि को ही राजस्व नक्शा लटठा के अनुसार डिजिटाइज्ड शीट नक्शे में वादीगण के खाते की भूमि 484 को दक्षिण दिशा में व ख0न0 483/628 की 1–80 हेक्टर को उत्तर दिशा में अंकन कर दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1. नकल जमाबन्दी ग्राम भौरा सम्वत 2077–2080 खाता सं0 नया 123
2. नकल नजरी नक्शा
3. नकल प्रशासन गांवों के संग आदेश बंटवारा
4. नकल बंटवारा
5. नकल पटवारी रिपोर्ट

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षी तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। जवाब सरकार अनुसार ख0न0 484 व 483/628 को सही दर्ज रेकार्ड करने की अभिशंषा की है। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। पत्रावली में बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा जवाब सरकार का आधोपान्त अवलोकन, अध्ययन व बहस कथनो पर मनन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भौरा की भूमि ख0न0 484 की 0–13 हेक्टर को मोके के अनुसार व काबिज भूमि को ही राजस्व नक्शा लटठा के अनुसार डिजिटाइज्ड शीट नक्शे में वादीगण के खाते की भूमि 484 को दक्षिण दिशा में व ख0न0 483/628 की 1–80 हेक्टर को उत्तर दिशा में अंकन कर दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार दीगोद यदि नियमानुसार राजस्व बनता है तो पक्षकारान से वसूल कर आदेश की पालना करे।

निर्णय आज दिनांक 18/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद